



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार 07 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या 1126/XII(1)/2025/86(16)2019

देहरादून, 07 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सामान्य निर्वाचन

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-96 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के पदों पर निर्वाचन कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित करते हैं:-

1. शासन द्वारा निर्वाचन संबंधी अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)
3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)

नामांकन की तिथि	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	नामांकन वापसी की तिथि	मतदान की तिथि	मतगणना की तिथि
11.08.2025	11.08.2025	12.08.2025	14.08.2025	14.08.2025

आज्ञा से,
चन्द्रेश कुमार,
सचिव।